



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.

120

विवाह- 9012 - I-16

सियारानी पुत्री श्री बालाराम नायक
पत्नी स्व. श्री केशवदास तिवारी,
निवासी बमनुआ तहसील टहरौली
जिला झांसी उत्तर प्रदेश

-----आवेदिका

विरुद्ध

1. श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी तहसील जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. ओमप्रकाश तनय श्री बालाराम नायक, निवासी निमवौनी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. विजय तनय श्री बालाराम नायक निवासी निमवौनी तहसील व जिला निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
4. शीषभूषण तनय श्री बालाराम नायक निवासी निमवौनी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
5. राकेश तनय बालाराम नायक निवासी निमवौनी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

-----असल अनावेदकगण

6. मुन्नीदेवी पुत्री श्री बालाराम नायक पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी कौछाभोंवर तहसील व जिला झांसी उ. प्र.
7. गमता देवी पुत्री श्री बालाराम नायक पत्नी श्री प्रदीप कुमार पाठक निवासी बबीना तह. व जिला झांसी उ.प्र.

-----तरतीवी अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महादेय निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म.प्र. के समक्ष लंबित प्रकरण क्रमांक 49/2014-15/अपील को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु संहिता की धारा 29 (1) के अधीन आवेदन पत्र

Amargans
5-7-16
अमित पाण्डे
(आवेदक)

E/S/L

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 9012-एक/2016 विविध

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकार
अभिभा
के हस्ता

5-8-2016

यह विविध आवेदन अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 49/2014-15 अपील को किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान आवेदक के अभिभाषक ने आर्डरशीट के हासिये में अंकित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित हो जाने से यह विविध प्रकरण In fructuous हो गया है।

उक्त कारण से प्रकरण चलने योग्य न रहने के आधार पर समाप्त किया जाता है।


सदस्य

